

Ref: ISD/17-18/405

17th February, 2018

The Deputy General Manager, Corporate Relationships Dept. BSE Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001. Scrip Code 532 477	The Deputy General Manager, Listing Dept. National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot No.C/1, G Block Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051. Scrip Symbol/Series-UNIONBANK-EQ
---	--

Dear Madam /Sir,

Subject: Notice for Extraordinary General Meeting of the shareholders of Union Bank of India to be held on Friday, 16th March, 2018

We refer to our letter ISD/17-18/396 dated 7th February, 2018 informing about decision of Bank's Committee of Directors for Raising of Capital Funds (CDRCF) to hold **Extraordinary General Meeting (EGM)** of shareholders of the Bank on **March 16, 2018** at Mumbai for Issue and allotment of equity shares on preferential basis to the Government of India (President of India).

Pursuant to Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose Notice of Extraordinary General Meeting scheduled to be held on **Friday, 16th March, 2018 at 11.00 a.m.** at **Y. B. Chavan Auditorium, General Jagannath Bhosale Marg, Opp. Mantralaya, Nariman Point, Mumbai, Maharashtra - 400021.**

This is for your information and appropriate dissemination please.

Thanking you.

Yours faithfully,

Mangesh Mandrekar
(Mangesh Mandrekar)
Company Secretary

Encl.: As above

केन्द्रीय कार्यालय: यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.

Central Office: Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

असाधारण सामान्य बैठक की सूचना Notice for Extraordinary General Meeting

दिनांक : शुक्रवार, 16 मार्च, 2018 समय : पूर्वाह्न 11.00 बजे
Date: Friday, 16th March, 2018 Time: 11.00 A.M.

स्थान :

वाय. बी. चव्हाण, सभागार,
जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग,
मंत्रालय के सामने, नरीमन पॉइंट,
मुंबई, महाराष्ट्र - 400 021.

Venue :

Y. B. Chavan Auditorium,
General Jagannath Bhosale Marg,
Opp. Mantralaya, Nariman Point,
Mumbai, Maharashtra – 400 021

विषय सूची

	पृष्ठ क्रमांक
सूचना.....	1
नोट्स.....	2
व्याख्यात्मक विवरण	6
हरित पहल - शेअर धारकों से अपील	17
डिमाँट के लाभ	18
परोक्षी फार्म	19
उपस्थिति पर्ची तथा प्रवेश पत्र	21

CONTENTS

	Page No.
Notice	9
Notes	10
Explanatory Statement.....	14
Green Initiative - Appeal to Shareholders	17
Benefits of Demat	18
Proxy Form.....	20
Attendance Slip & Entry Pass	21

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च, 2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे, वाय. बी. चव्हाण सभागार, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, मंत्रालय के सामने, नरीमन पॉइंट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400 021 में निम्नलिखित कारोबार हेतु आयोजित की जाएगी:

भारत सरकार (जीओआई) को अधिमानी आबंटन के माध्यम से ₹ 4524 करोड़ तक इक्विटी शेयरों का जारी किया जाना.

विचारार्थ और उचित पाए जाने पर, विशेष संकल्प के रूप में आशोधनों के साथ या बिना किसी आशोधन के निम्नलिखित संकल्प पारित करने के लिए :

“संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) और समय - समय पर यथा संशोधित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 (विनियम) तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), और/या अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा, जो इस विषय में अपेक्षित हो, की अनुमति, सहमति, स्वीकृति, यदि कोई हो, के अद्यधीन और ऐसे निबंधनों, शर्तों एवं आशोधनों के अद्यधीन, जो इस अनुमोदन के संबंध में उनके द्वारा निर्धारित किया गया हो तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा जिसकी सहमति दी गयी हो और सेबी (पूजी का निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकता) विनियम 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियमन) और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य सभी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय - समय पर निर्धारित विनियमन तथा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 (लिस्टिंग विनियमन) के अद्यधीन बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद जिसे “बोर्ड” कहा जाएगा, जिसमें कोई समिति, जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित की गयी हो / गठित की जाए, भी सम्मिलित मानी जाएगी) को एतद्वारा बैंक के शेयरधारकों द्वारा सेबी आईसीडीआर विनियमावली के विनियम 76(1) के अद्यधीन ₹10/- (रुपए दस मात्र) मूल्य के 31,28,19,803 (इकतीस करोड़ अठाईस लाख उन्नीस हजार आठ सौ तीन), इक्विटी शेयर ₹ 134.62 (एक सौ चौतीस एवं पैसे बासठ मात्र) प्रति शेयर के प्रीमियम के साथ ₹ 144.62 (रुपये एक सौ चवालीस एवं पैसे बासठ मात्र) प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित करने तथा अधिमान आधार पर भारत सरकार को कुल ₹ 4,524 करोड़ (रुपये चार हजार पाँच सौ चौबीस करोड़ मात्र) के प्रतिफल के लिए आबंटित करने की अनुमति प्रदत्त है और प्रदान की जाती है.

यह भी संकल्प किया जाता है कि अधिमानी निर्गम मूल्य के निर्धारण की संबंधित तिथि, सेबी आईसीडीआर विनियमन के अनुसार उक्त उल्लिखित इक्विटी शेयरों के निर्गम हेतु न्यूनतम मूल्य के निर्धारण के लिए संबंधित तिथि बुधवार, 14 फरवरी, 2018 होगी.

यह भी संकल्प किया जाता है कि भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड / स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या किसी अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा उनके निर्गम, आबंटन एवं सूचीकरण के समय अनुमोदन, स्वीकृति, सहमति या मंजूरी प्रदान करने के समय प्रस्ताव में अधिरोपित या अपेक्षित और बोर्ड द्वारा सहमत किसी आशोधन को स्वीकार करने का अधिकार एवं शक्ति बोर्ड के पास होगी.

यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गमित होने वाले ये इक्विटी शेयर बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों के समान होंगे तथा लाभांश जारी करने के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार कोई लाभांश, यदि घोषित किया जाता है, तो उसके लिए पात्र होंगे.

यह भी संकल्प किया जाता है कि इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से बोर्ड वे सभी कार्य, कृत्य करने तथा विषय एवं मामले निपटाने, जो उसके सम्पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार आवश्यक, उचित एवं अपेक्षित हैं तथा इक्विटी शेयरों के निर्गमन के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, समस्या या संदेह के समाधान हेतु अधिकृत है तथा आगे उसे वे सभी कार्य व कृत्य करने तथा विषय एवं मामले निपटाने, सभी दस्तावेजों एवं लेखन कार्यों को अंतिम रूप देने एवं निष्पादित करने, जो उसके सम्पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार आवश्यक, अपेक्षित या समीचीन हों तथा शेयरधारकों की आगे किसी स्वीकृति या सहमति प्राप्त किए बिना जिसे करना उचित या अपेक्षित हो, के लिए अधिकृत है या इस प्रस्ताव के अधिकार के तहत शेयरधारकों को सहमति प्राप्त हुआ माना जाएगा।

यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड इसके द्वारा प्रदत्त सभी या किसी भी अधिकार को बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या किसी भी कार्यपालक निदेशक या ऐसे किसी अधिकारी को, जो उक्त प्रस्ताव को लागू करने के लिए उपयुक्त हो, को प्रत्यायोजित करने हेतु अधिकृत है तथा एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।”

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

स्थान : मुंबई

(राजकिरण राय जी.)

दिनांक : 14 फरवरी, 2018

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

नोट्स :

1. व्याख्यात्मक विवरण

बैठक के कार्यकलापों के संबंध में सारवान तथ्य सूचित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

2. परोक्षी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने तथा वोट देने के हकदार शेयरधारक अपने स्थान पर भाग लेने तथा वोट देने हेतु परोक्षी (बैंक के अधिकारी अथवा कर्मचारी को छोड़कर) नियुक्त कर सकते हैं और यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा परोक्षी बैंक का शेयरधारक हो। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बँडके) विनियम 1998 के विनियम 70(vi) के अनुसार परोक्षी प्रपत्र प्रदान करने वाला व्यक्ति उस बैठक में, जिससे संबंधित प्रपत्र है, व्यक्तिगत रूप से वोट देने का हकदार नहीं होगा। इस नोटिस के अनुलग्नक फार्म “बी” के अलावा परोक्षी का अन्य कोई भी प्रपत्र वैध नहीं होगा।

परोक्षी फार्म को प्रभावी बनाने के लिए बैंक के केंद्रीय कार्यालय में **कंपनी सचिव को संबोधित, निवेशक सेवायें प्रभाग, यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021** के पते पर बैठक की तिथि से कम से कम **चार दिन पूर्व** अर्थात् **शुक्रवार, 09 मार्च, 2018 को शाम 5 बजे तक या उससे पूर्व** मुख्तारनामा अथवा अन्य अधिकार पत्र, यदि कोई है, तो उसके साथ, जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित है अथवा उस मुख्तारनामा की प्रति अथवा अन्य अधिकार पत्र, जिसे पब्लिक नोटरी अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया गया हो, जब तक कि इस प्रकार के मुख्तारनामा अथवा अन्य अधिकार पत्र को बैंक के पास पूर्व में ही जमा और पंजीकृत न किया गया हो, अवश्य प्राप्त होना चाहिए।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी कंपनी या किसी निकाय, निगम, जो बैंक के शेयरधारक हैं, के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति, जिसमें वह संकल्प पारित किया गया हो, बैंक के केंद्रीय कार्यालय में उक्त पते पर बैठक की तिथि से **कम से कम चार दिन पूर्व** अर्थात् **शुक्रवार, 09 मार्च, 2018 को शाम 5 बजे तक या उससे पूर्व** जमा न करा दिया गया हो।

4. उपस्थिति पर्ची - सह - प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची - सह - प्रवेश पत्र इस नोटिस के साथ भेजा गया है। शेयरधारकों / परोक्षियों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची भरें और दी गयी जगह पर हस्ताक्षर करें और उसे बैठक के स्थान पर सुपुर्द करें। परोक्षी या प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति पर्ची - सह - प्रवेश पत्र पर “परोक्षी” अथवा “प्राधिकृत प्रतिनिधि” जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख किया जाए।

5. कट ऑफ तारीख

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 यथा संशोधित के क्रम में शेयरधारकों को वोटिंग अधिकार की तिथि **शुक्रवार, 09 मार्च, 2018** मानी जाएगी।

6. ई - वोटिंग

- I. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम 2015 द्वारा संशोधित, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के साथ पठित लिस्टिंग विनियमन के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) में विचारार्थ प्रस्तुत संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने और ई-वोटिंग सेवाओं के द्वारा कार्रवाई की सुविधा प्रदान की गयी है। असाधारण सामान्य बैठक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से तथा ईजीएम के अलावा अन्य स्थान से (“रिमोट ई-वोटिंग”) की सुविधा **नैशनल सेक्यूरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (NSDL)** द्वारा प्रदान की जा रही है।
- II. वोटिंग की सुविधा असाधारण सामान्य बैठक स्थल में भी रहेगी और इस बैठक में उपस्थित वे शेयरधारक ई - वोटिंग द्वारा अपने वोटिंग अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे, जिन्होंने रिमोट ई -वोटिंग के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है।
- III. जिन शेयरधारकों ने असाधारण सामान्य बैठक से पहले रिमोट ई -वोटिंग के द्वारा अपना वोट दे दिया है, वे भी इस असाधारण सामान्य बैठक में भाग ले सकते हैं, परंतु वे दुबारा वोट नहीं दे सकेंगे।
- IV. रिमोट ई - वोटिंग की अवधि **मंगलवार दिनांक 13 मार्च, 2018 को सुबह 9.00 बजे प्रारंभ होकर गुरुवार, 15 मार्च, 2018 को शाम 5.00 बजे तक रहेगी**। बैंक के शेयरधारक इस अवधि के दौरान, जो निर्धारित तारीख शुक्रवार, 09 मार्च, 2018 को फिजिकल या डी - मैटरियालाइज्ड फार्म में शेयर धारण करते हों, रिमोट ई - वोटिंग के द्वारा वोट कर सकते हैं। इस अवधि के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई - वोटिंग को बंद कर दिया जाएगा। शेयरधारकों द्वारा एक बार प्रस्ताव पर वोट करने के बाद उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

V. रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और तरीका निम्नानुसार है:

चरण 1: एनएसडीएल के ई-वोटिंग सिस्टम <https://evoting.nsdl.com/> पर लॉग-इन करें.

1. पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर एनएसडीएल की वेबसाइट खोलें और निम्न यूआरएल टाइप करें: <https://www.evoting.nsdl.com/>
2. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज खुलने के बाद, "Login" आइकॉन पर क्लिक करें, जो 'Shareholders' अनुभाग में उपलब्ध है.
3. एक नया स्क्रीन खुलेगा. आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड तथा स्क्रीन पर प्रदर्शित वेरिफिकेशन कोड एंटर करना होगा.

अन्यथा: यदि आप एनएसडीएल की ई-सेवाओं अर्थात IDEAS के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने विद्यमान IDEAS लॉग-इन से <https://eservices.nsdl.com/> को लॉग-इन कर सकते हैं. एक बार अपने लॉग-इन का प्रयोग कर एनएसडीएल की ई-सेवाओं को लॉग-इन करने के बाद, ई-वोटिंग पर क्लिक करें और द्वितीय चरण अर्थात Cast your vote electronically में जाएँ.

4. आपके यूजर आईडी ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

शेयर धारिता अर्थात डीमेट या भौतिक रूप में	आपका यूजर आईडी निम्नानुसार है
ए) एनएसडीएल के साथ डीमेट खाते में शेयर रखने वाले शेयर धारक	8 करेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 अंकों को क्लाइंट आईडी अर्थात यदि आपकी डीपी आईडी IN300 ^{***} और क्लाइंट आईडी 12 ^{*****} है तो आपका यूजर आईडी होगा: IN300 ^{***} 12 ^{*****} .
बी) सीडीएसएल के साथ डीमेट खाते में शेयर रखने वाले शेयर धारक	16 अंकों की लाभार्थी आईडी, उदाहरण के लिए आपकी लाभार्थी आईडी 12 ^{*****} है तो आपकी यूजर आईडी होगी: 12 ^{*****} होगी.
सी) भौतिक स्त्र (अर्थात शेयर प्रमाणपत्र) में शेयर रखने वाले शेयर धारक	EVEN नंबर के बाद बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर. उदाहरण के लिए: यदि फोलियो नंबर 001 ^{***} है और ईवन नंबर 108196 है तो यूजर आईडी होगा-108196001 ^{***} .

5. आपका पासवर्ड ब्यौरा निम्नानुसार है:

- ए) यदि आप ई-वोटिंग के लिए पहले से पंजीकृत हैं, तो अपना वोट देने हेतु अपना विद्यमान पासवर्ड और लॉग-इन का प्रयोग कर सकते हैं.
- बी) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का प्रयोग पहली बार कर रहे हैं, तो आपको "प्रारम्भिक पासवर्ड" रिट्रीव करना होगा, जो आपको सूचित किया गया है. आपका "प्रारम्भिक पासवर्ड" एक बार रिट्रीव होने के बाद, आपको अपना "प्रारम्भिक पासवर्ड" एंटर करना होगा और सिस्टम आपको पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा.

- सी) "प्रारम्भिक पासवर्ड" कैसे रिट्रीव करें ?
- यदि आपका ई-मेल आईडी बैंक या डीमेट खाते में पंजीकृत है, तो "प्रारम्भिक पासवर्ड" आपके ई-मेल पर सूचित किया गया है. अपने मेल-बॉक्स में एनएसडीएल द्वारा प्रेषित ई-मेल खोलकर उसमें संलग्न ".pdf" फ़ाइल खोलें. एनएसडीएल खाते की दशा में, पीडीएफ़ फ़ाइल खोलने का पासवर्ड आपका 8 अंकीय आईडी तथा सीडीएसएल खाते की दशा में, लाभार्थी आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक स्तर में शेयरों के लिए फोलियो नंबर होगा. इस .pdf फ़ाइल में यूजर आईडी और प्रारम्भिक पासवर्ड है.
 - यदि आपका ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो आपका प्रारम्भिक पासवर्ड आपके डाक पते पर प्रेषित किया गया है.
6. यदि आप अपना "प्रारम्भिक पासवर्ड" रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं या आपको अपना पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है या आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं:
- यदि एनएसडीएल या सीडीएसएल के डीमेट खाते में शेयर रखे गए हैं, तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details/Password" पर क्लिक करें.
 - यदि आपके पास शेयर भौतिक स्तर में हैं, तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Physical User Reset/Password" पर क्लिक करें.
 - यदि उपर्युक्त दो विकल्पों के द्वारा भी आपको पासवर्ड नहीं मिला है, तो अपना डीमेट खाता संख्या/फोलियो नंबर, अपने पैन, अपने नाम और पंजीकृत पते का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं.
7. अपना पासवर्ड डालने के बाद चेक बॉक्स सेलेक्ट करते हुए "Terms and Conditions" पर सहमति को क्लिक करें.
8. अब "लॉग-इन" बटन पर क्लिक करें.
9. "लॉग-इन" बटन पर क्लिक करने के बाद ई-वोटिंग का होम पेज खुलेगा.

चरण 2: एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर अपना वोट एलेक्ट्रॉनिक रूप से दें.

- चरण 1 के सफल लॉग-इन पर आपको ई-वोटिंग का होमपेज दिखाई देगा. ई-वोटिंग पर क्लिक करें. उसके बाद, Active Voting Cycles पर क्लिक करें.
- Active Voting Cycles पर क्लिक के उपरांत, आपको उन सभी कंपनियों का "EVEN" दिखेगा, जिनके शेयर आपके पास हैं और सक्रिय स्थिति में हैं.
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के "EVEN" का चयन करें - 108196.
- अब वोटिंग पेज खुल गया है और आप ई-वोटिंग कर सकते हैं.
- सही विकल्प अर्थात assent या dissent, शेयरों की संख्या जिनके लिए आप वोट करना चाहते हैं, उनकी जांच कर लें तथा "Submit" और "Confirm" पर क्लिक करें.
- पुष्टि के उपरांत, "Vote cast successfully" दिखेगा.

7. पुष्टीकरण पेज पर प्रिंट-आउट विकल्प पर क्लिक करते हुए, आप दिये गए वोट का प्रिंट-आउट भी प्राप्त कर सकते हैं।
8. संकल्प पर वोट की एक बार पुष्टि के उपरांत, वोट में संशोधन की अनुमति नहीं होगी।

VI. किसी प्रकार की शंका होने की स्थिति में www.evoting.nsdl.com में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) और डाउनलोड सेक्शन में शेयरधारकों के लिए उपलब्ध रिमोट ई-वोटिंग मैनुअल का उल्लेख लिया जा सकता है या टोलफ्री नं.: 1800-222-990 पर संपर्क किया जा सकता है।

VII. कोई भी व्यक्ति जो बैंक द्वारा नोटिस प्रेषण के उपरांत शेयर प्राप्त करता है तथा जिसके पास कट-ऑफ तारीख अर्थात् शुक्रवार, 9 मार्च 2018 को शेयर हैं, निम्नांकित ई-मेल पर अनुरोध कर लॉग-इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

evoting@nsdl.co.in या investorservices@unionbankofindia.com या ubiinvestors@datamaticsbbpm.com।

यदि आप पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पंजीकृत हों, तो अपना वोट देने के लिए विद्यमान यूजर आईडी और पासवर्ड/पिन का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "Forgot User Details/Password" का प्रयोग कर अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं या एनएसडीएल के टोल-फ्री नंबर 1800-222-990 पर संपर्क कर सकते हैं।

viii. जिस व्यक्ति का नाम कट ऑफ तारीख को, शेयरधारक के रजिस्टर या डिपोजिटरिस द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही व्यक्ति रिमोट ई - वोटिंग एवं असाधारण सामान्य बैठक में वोटिंग के लिए पात्र होगा।

ix. वोटिंग की जांच करने और रिमोट ई - वोटिंग की प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए कंपनी सचिव मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रह्मणियन एण्ड कंपनी (SNACO) को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।

X. अध्यक्ष, असाधारण सामान्य बैठक में संकल्पों पर चर्चा के अंत में उन्हीं शेयरधारकों को वोटिंग की अनुमति प्रदान करेंगे, जो इस बैठक में उपस्थित हों, लेकिन उन्होंने रिमोट ई - वोटिंग की सुविधा के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है।

XI. जांचकर्ता द्वारा वार्षिक सामान्य बैठक में वोटिंग समाप्त होने के बाद परंतु असाधारण सामान्य बैठक की समाप्ति के 48 घंटों के अंदर पक्ष और विपक्ष में पड़े वोटों की समेकित रिपोर्ट बनाकर अध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी।

XII. अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित रूप से परिणामों की घोषणा होने के तुरंत बाद, जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणामों को बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in तथा एनएसडीएल की वेबसाइट पर रखा जाएगा। ये परिणाम तुरंत स्टॉक एक्सचेंज और एनएसडीएल को भेजे जाएंगे।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकता) विनियम, 2009 के अधीन अपेक्षित व्याख्यात्मक विवरण एवं प्रकटन

ए) अधिमानि निर्गम के उद्देश्य

बासेल III मानदंडों के अनुरूप बैंक की पूंजीगत स्थिति के स्तर को और सुदृढ़ करने की दृष्टि से बैंक, भारत सरकार को अधिमानित आधार पर इक्विटी शेयरों के आबंटन के जरिए पूंजीगत निधि जुटाना चाहता है जिसके लिए वे अपने शेयरधारकों से अनुमति चाहते हैं।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 24.01.2018 के जरिये सूचित किया है कि चालू वित्त वर्ष में बैंक को ₹4524 करोड़ की पूंजी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है जो भारत सरकार के पक्ष में जारी अधिमानी आधार पर इक्विटी शेयरों के आबंटन के रूप में होगी।

बी) सम्पूर्ण अधिमानी निर्गम भारत सरकार द्वारा अभिदत्त किया जाएगा। निर्गम मूल्य का निर्धारण सेबी आईसीडीआर विनियमावली के विनियम 76(1) के अनुसार किया जाएगा। निर्गम मूल्य हेतु सुसंगत तिथि बुधवार, 14 फरवरी, 2018 को ध्यान में रखते हुए निर्गम मूल्य ₹ 144.62 (रुपये एक सौ चवालीस एवं पैसे बासठ मात्र) ₹ 134.62 (रुपये एक सौ चौतीस एवं पैसे बासठ मात्र प्रीमियम सहित) अंकित मूल्य ₹ 10.00 के प्रति इक्विटी शेयर हेतु निर्धारित किया गया है।

सी) अधिमानी निर्गम से पूर्व एवं उपरांत शेयरधारिता का पैटर्न :

क्र.	श्रेणी	निर्गम से पहले		निर्गम के उपरांत	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
1	भारत सरकार	47,50,94,778	55.52	78,79,14,581	67.43
2	अन्य (पब्लिक)	38,06,58,800	44.48	38,06,58,800	32.57
	कुल	85,57,53,578	100.00	1,16,85,73,381	100.00

डी) बैंक का प्रयास इस निर्गम की प्रक्रिया को सेबी आईसीडीआर द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा करने का है।

ई) चूंकि यह सम्पूर्ण अधिमानी निर्गम बैंक के बहुलांश शेयरधारक तथा प्रवर्तक भारत सरकार के लिए प्रस्तावित है, अतः नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

एफ) अधिमानी आधार पर इक्विटी शेयरों के आबंटन से पूर्व एवं उपरांत भारत सरकार की शेयरधारिता निम्नवत होगी:

विवरण	भारत सरकार	
	शेयरों की संख्या	पूंजी में %
निर्गम पूर्व	47,50,94,778	55.52
निर्गम उपरांत	78,79,14,581	67.43

चूंकि भारत सरकार को आबंटित इक्विटी शेयरों की संख्या वित्त वर्ष में 5% से अधिक हो रही है, भारत सरकार की ओर से बैंक द्वारा सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन व टेकओवर) विनियम 2011 के तहत छूट हेतु आवश्यक आवेदन किया जाएगा तथा अनुमति मिलने के बाद ही शेयरों का आबंटन किया जाएगा।

जी) बैंक के इक्विटी शेयर छः महीने से अधिक समय से सूचीबद्ध हैं तथा तदनुसार सेबी आईसीडीआर विनियमावली के विनियम 76(3) और 78(5) के प्रावधान तथा सेबी आईसीडीआर विनियमावली, 2009 के विनियम 73(1)(एफ) एवं (जी) के अधीन प्रकटन के प्रावधान लागू नहीं हैं।

- एच)** भारत सरकार को निर्गमित किए जाने वाले एवं आबंटित सभी शेयर ट्रेडिंग अनुमोदन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए लॉक - इन होंगे.
- आई)** भारत सरकार को निर्गमित एवं आबंटित किए जाने वाले सभी शेयर सम्बद्ध तारीख से आरंभ होकर संबंधित स्टॉक एक्सचेंज द्वारा दिए गए ट्रेडिंग अनुमोदन की तिथि से छह माह तक लॉक - इन होंगे.
- जे)** सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रमाणपत्र, जो यह प्रमाणित करता है कि निर्गम इन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार है, असाधारण सामान्य बैठक में रखा जाएगा.
- के)** भारत सरकार द्वारा धारित सभी शेयर डिमैट फार्म में हैं तथा बैंक सूचीबद्धता विनियम के प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है.
- एल)** संबंधित तिथि से पूर्व के छः माह के दौरान भारत सरकार द्वारा बैंक का कोई इक्विटी शेयर नहीं बेचा गया है.
- एम)** बैंक द्वारा निष्पादित सूचीबद्ध करने संबंधी अन्य बातों के साथ - साथ यह भी प्रावधान है कि जब आगे शेयरों के आबंटन के द्वारा बैंक की निर्गमित पूंजी को बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाएगा, तो ऐसे शेयरों के लिए सबसे पहले बैंक के विद्यमान शेयरधारकों को बैंक में उनकी शेयरधारिता के अनुपात में अभिदान के लिए प्रस्ताव किया जाएगा, जब तक कि वे सामान्य बैठक में विशेष संकल्प के माध्यम से इसके विपरीत निर्णय न लें. चूंकि बैंक के विद्यमान शेयरधारकों को आनुपातिक आधार के अतिरिक्त पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर आबंटित करने का प्रस्ताव है, अतः उक्त संकल्प पारित किया जाना आवश्यक है. साथ ही सेबी आईसीडीआर विनियमावली, 2009 के विनियम 72 के अंतर्गत भी यह आवश्यक है.
- एन)** बैंक द्वारा आवश्यक होने पर सेबी आईसीडीआर विनियमावली के अनुसार इक्विटी शेयरों के मूल्य की पुनर्गणना करने का भी संकल्प किया जाता है.
- ओ)** बैंक द्वारा यह भी संकल्प किया जाता है कि यदि पुनर्गणना के कारण देय मूल्य इन विनियमों के अंतर्गत निर्धारित समय में अदा नहीं किया जाता है तो, विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां आबंटिती द्वारा रकम अदा किए जाने तक लॉक रहेंगी.
- आपके निदेशक इस एजेंडा की नोटिस में उल्लिखित विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करते हैं.
- इस बैठक के एजेंडा में बैंक के किसी निदेशक का कोई हित या संबंध नहीं है.

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

स्थान : मुंबई

दिनांक : 14 फरवरी, 2018

(राजकिरण राय जी.)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

NOTICE

NOTICE is hereby given that an **Extraordinary General Meeting** of the shareholders of Union Bank of India will be held on **Friday, March 16, 2018 at 11:00 AM at Y. B. Chavan Auditorium, General Jagannath Bhosale Marg, Opp. Mantralaya, Nariman Point, Mumbai, Maharashtra – 400 021** to transact the following business:

Issue of Equity Shares on Preferential Basis to Government of India (GoI) upto ₹ 4,524 Crore.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following Resolution(s) as Special Resolution(s):

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (the Act) and Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time (the Regulations) and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GoI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “the Board” which shall be deemed to include a Committee which the Board may have constituted/may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot up to **31,28,19,803 (Thirty One Crore Twenty Eight Lakh Nineteen Thousand Eight Hundred and Three) equity shares of ₹10/- each (Rupees Ten only) for cash at an Issue Price of ₹ 144.62 (Rupees One Hundred Forty Four and Sixty Two Paise Only) per share including premium of ₹ 134.62 (Rupees One Hundred Thirty Four and Sixty Two Paise Only) per share** determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations and aggregating up to **₹4,524 crore (Rupees Four Thousand Five Hundred and Twenty Four Crore Only) to Government of India on Preferential Basis.**

RESOLVED FURTHER THAT the **Relevant Date** for determination of the Preferential Issue Price, as per the SEBI ICDR Regulations for the determination of minimum price for the issue of the above mentioned equity shares shall be **Wednesday, February 14, 2018.**

RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India/ Reserve Bank of India/Securities and Exchange Board of India/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.

RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend, if any, declared in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & Chief Executive Officer or any one of the Executive Directors or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

By order of the Board of Directors

Place: Mumbai
Date: February 14, 2018

(Rajkiran Rai G.)
Managing Director & CEO

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. APPOINTMENT OF PROXY

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy (other than an officer or an employee of the bank) to attend and vote instead of himself/herself and the proxy need not be a shareholder of the bank. As per Regulation 70(vi) of Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations 1998, the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form “B” as annexed to this notice.

The Proxy, in order to be effective, must be received at Central Office of the Bank addressed to **Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400 021**, not less than **FOUR DAYS** before the date of meeting i.e. **on or before 5.00 PM on Friday, March 9, 2018** together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

3. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Central Office of the Bank at the address given above, not less than **FOUR DAYS** before the date of meeting i.e. **on or before 5.00 PM on Friday, March 9, 2018**.

4. ATTENDANCE SLIP-CUM ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is also dispatched along with this Notice. Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy / Authorised Representatives should state in their Attendance Slip-cum-Entry Pass as “Proxy” or “Authorised Representative” as the case may be.

5. CUT OFF DATE

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, Voting Rights of the shareholders shall be reckoned as on **Friday, March 9, 2018**.

6. E-VOTING

- I. In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Bank is pleased to provide shareholders facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the Extraordinary General Meeting (EGM) by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services. The facility of casting the votes by the shareholders using an electronic voting system from a place other than venue of the EGM (“remote e-voting”) will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL).
- II. The facility for voting shall also be made available at the venue of the EGM and the shareholders attending the meeting who have not casted their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through voting at the venue.
- III. The shareholders who have casted their vote by remote e-voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- IV. The remote e-voting period commences on **Tuesday, March 13, 2018 at 9:00 AM and ends on Thursday, March 15, 2018 at 5:00 PM**. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-Off Date of **Friday, March 9, 2018** may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the shareholder casts his vote on a resolution, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.
- V. **The process and manner for remote e-voting are as under:**

Step 1 : Log-in to NSDL e-Voting system at <https://www.evoting.nsdl.com/>

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/> either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholders’ section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password and a Verification Code as shown on the screen.

Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at <https://eservices.nsdl.com/> with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on E-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat or Physical	Your User ID is:
a) Shareholders holding shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example: if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your user ID is IN300***12*****.
b) Shareholders holding shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example: if your Beneficiary ID is 12***** then your user ID is 12*****.
c) Shareholders holding shares in Physical Form (i.e. Share Certificate).	EVEN Number followed by Folio Number registered with the Bank For example: if folio number is 001*** and EVEN is 108196 then user ID is 108196001***

5. Your password details are given below:

- If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
- If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.
- How to retrieve your 'initial password'?
 - If your email ID is registered in your demat account or with the Bank, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a ".pdf" file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.
 - If your email ID is not registered, your 'initial password' is communicated to you on your postal address.

6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:

- Click on "Forgot User Details/Password?" (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.
- Physical User Reset Password?" (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.
- If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address.

7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.

8. Now, you will have to click on "Login" button.

9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Step 2 : Cast your vote electronically on NSDL e-Voting system.

1. After successful login at Step 1, you will be able to see the Home page of e-Voting. Click on e-Voting. Then, click on Active Voting Cycles.
 2. After click on Active Voting Cycles, you will be able to see all the companies “EVEN” in which you are holding shares and whose voting cycle is in active status.
 3. Select “EVEN” of Union Bank of India- '108196'
 4. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
 5. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on “Submit” and also “Confirm” when prompted.
 6. Upon confirmation, the message “Vote cast successfully” will be displayed.
 7. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
 8. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- VI. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and remote e-voting user manual for shareholders available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: **1800-222-990**.
- VII. If you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password/PIN for casting your vote.
- VIII. You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s) related to e-voting process.
- IX. Any person, who acquires shares of the Bank and becomes shareholder of the Bank after dispatch of the notice and holding shares as of the **cut-off date i.e. Friday, March 9, 2018**, may obtain the login ID and password by sending a request at - evoting@nsdl.co.in or investorservices@unionbankofindia.com or ubiinvestors@datamaticsbbpm.com.
- However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using “Forgot User Details/Password” option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990.
- X. A person, whose name is recorded in the Register of Shareholders or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the EGM.
- XI. M/s. S N Ananthasubramanian & Co. (SNACO), Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- XII. The Chairman shall, at the EGM, at the end of discussion on all the resolutions allow voting for all those shareholders who are present at the EGM but have not cast their votes by availing the remote e-voting facility.
- XIII. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the general meeting but, not later than 48 hours

of the conclusion of the EGM, submit a consolidated scrutinizer's report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman of the Bank.

- XIV. The Results declared alongwith the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank i.e. www.unionbankofindia.co.in and on the website of NSDL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges.

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Securities & Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009.

a) Objects of the Preferential Issue

In order to further strengthen the capital position of the Bank under Basel III norms, the Bank is seeking approval from its shareholders to raise capital funds by way of allotment of equity shares on preferential basis to Government of India.

The Government of India, Ministry of Finance vide their letter dated 24.01.2018 conveyed their decision of capital infusion to the tune of ₹ 4524 crore in our Bank during the current financial year by way of preferential allotment of equity in favour of the Government of India.

- b) Government of India shall subscribe to the entire Preferential Issue. The Issue Price is determined in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI ICDR Regulations. The Issue price so determined is **₹ 144.62 (Rupees One Hundred Forty Four and Sixty Two Paise Only) per share (including a premium of ₹ 134.62 (Rupees One Hundred Thirty Four and Sixty Two Paise Only) per share of the face value of ₹10.00** considering that the Relevant Date for ascertaining the Issue Price is **Wednesday, February 14, 2018**.

c) Shareholding Pattern before and after the Preferential Issue:

Sr. No.	Category	Before the Issue		After the Issue	
		No. of Shares held	% of shareholding	No. of Shares held	% of shareholding
1.	Government of India	47,50,94,778	55.52	78,79,14,581	67.43
2.	Others (Public)	38,06,58,800	44.48	38,06,58,800	32.57
	Total	85,57,53,578	100.00	1,16,85,73,381	100.00

- d) The Bank endeavours to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations.
- e) As the entire preferential issue will be made to the Government of India, the major shareholder and Promoter of the Bank, there would not be any change in control.
- f) The Pre and Post issue shareholding of the Government of India in respect of allotment of equity shares on preferential basis would be as under:

Particulars	Government of India	
	No. of Shares	% of Capital
Pre Issue	47,50,94,778	55.52
Post Issue	78,79,14,581	67.43

As the number of equity shares to be issued to allotted to GOI exceeds 5% in this financial year, the Bank on behalf of GOI would be making necessary application with SEBI under SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeover) Regulations, 2011 seeking their exemption and the shares will be allotted only after receipt of the same.

- g) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations and the disclosures under Regulation 73 (1) (f) & (g) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 are not applicable.
- h) All the equity shares to be issued and allotted to the Government of India shall be locked in for a period of three years from the date of respective Trading Approvals.
- i) The entire pre-preferential holding of Government of India will be locked for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of Trading Approval granted by the Stock Exchange.
- j) The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.
- k) All the equity shares held by the Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the provisions of Listing Regulations.
- l) The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the Relevant Date.
- m) Listing Regulations provide *inter-alia* that when it is proposed to increase the issued capital of the Bank by allotment of further shares, such shares shall be first offered to the existing shareholders of the Bank for subscription in proportion to their shareholding in the Bank unless the shareholders decide otherwise in a General Meeting by a special resolution. As it is proposed to allot fully paid up Equity Shares other than pro rata to the existing shareholders of the Bank, the above resolution is required to be passed. Further, it is also required under Regulation 72 of the SEBI ICDR Regulations 2009.
- n) The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations where it is required to do so.
- o) The Bank undertakes that if the amount payable on account of re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked in till the time such amount is paid by the allottee.

Your Directors recommend passing of the special resolutions mentioned in the notice for this agenda.

None of the Directors of the Bank are concerned or interested in this agenda of the meeting.

By order of the Board of Directors

Place: Mumbai
Date: February 14, 2018

(Rajkiran Rai G.)
Managing Director & CEO

This page is intentionally left blank

हरित पहल - शेयर धारकों से अपील

ई-मेल के माध्यम से नोटिस / वार्षिक रिपोर्ट तथा
अन्य पत्राचार करना.

डिमेट खातों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिमेट खातों में ई-मेल आईडी दर्ज करें.

भौतिक रूप से शेयर रखने वाले शेयर धारकों से अनुरोध है कि -

इस पत्र के नीचे दिये गये भाग को भरकर तथा उस पर हस्ताक्षर करके उसे हमारे रजिस्ट्रार के पास नीचे लिखे पते पर भिजवा दें -

मैसर्स डाटामैटिक्स बिजनेस सोल्यूशन लि.
प्लॉट नं.बी-5, पार्ट बी, क्रॉस लेन, एमआईडीसी, मरोल
अंधेरी (पूर्व) मुम्बई - 400 093
टेली : 022-66712001-6
फैक्स : 022-28213404
ईमेल : ubiinvestors@datamaticsbpm.com

GREEN INITIATIVE - APPEAL TO SHAREHOLDERS

TO GET NOTICES / ANNUAL REPORTS & OTHER
COMMUNICATION THROUGH E-MAIL

Shareholders holding Shares in Demat Accounts are requested to:
register an email ID in their Demat A/cs.

Shareholders holding Shares in Physical form are requested to:

send their consent by filling up and signing the perforated portion of this communication to our Registrar at their address given hereunder:

M/s Datamatics Business Solutions Ltd.
Plot No.B-5, Part B, Cross lane, MIDC, Marol
Andheri (East), Mumbai - 400 093
Tel No: 022-66712001-6
Fax No.: 022-28213404
E-mail ID: ubiinvestors@datamaticsbpm.com

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हरित पहल

दिनांक :

Date:

मैसर्स डाटामैटिक्स बिजनेस सोल्यूशन लि.
प्लॉट नं.बी-5, पार्ट बी, क्रॉस लेन, एमआईडीसी, मरोल
अंधेरी (पूर्व) मुम्बई - 400 093
टेली : 022-66712001-6
फैक्स : 022-28213404
ईमेल : ubiinvestors@datamaticsbpm.com

प्रिय महोदय,

मैं/हम _____ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
कार्पोरेट गवर्नेंस के पर्यावरण सुरक्षा (हरित परिवेश) उपायों के एक प्रयास के
रूप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से सभी संदेश अपने नीचे दिये गये ई मेल
आईडी के माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूँ / चाहते हैं. मेरे / हमारे पास बैंक के
_____ शेयर भौतिक रूप में हैं.

फोलियो नम्बर: _____ ईमेल आईडी _____
मैं/हम इस आशय का वचन देता हूँ/देते हैं कि मेरे/हमारे ई मेल के माध्यम से
प्राप्त संदेश को सही, विधिक तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हमें भेजे गये
दस्तावेजों की समुचित एवं पर्याप्त सुपुर्दगी माना जाएगा. मैं/हम यह भी वचन
देता हूँ/देते हैं कि यदि किसी तकनीकी / अन्य कारणों से मेरा / हमारा ई मेल हमें
सही रूप में प्राप्त न होने के कारण संदेश प्राप्त नहीं हो पाता है तो हम यूनियन
बैंक ऑफ इंडिया, इसके किसी कर्मचारी, रजिस्ट्रार अथवा इसके कर्मचारियों को
उत्तरदायी नहीं ठहरायेंगे.

GREEN INITIATIVE OF UNION BANK OF INDIA

M/s Datamatics Business Solutions Ltd.
Plot No.B-5, Part B, Cross lane, MIDC, Marol
Andheri (East), Mumbai - 400 093
Tel No: 022-66712001-6
Fax No.:022-28213404
E-mail ID : ubiinvestors@datamaticsbpm.com

Dear Sir,

I/We _____ holding _____ shares of Union Bank
of India in physical form, intend to receive all communication from Union
Bank of India through our email ID given hereunder, as a part of Green
Initiative under Corporate Governance of Union Bank of India.

Folio Number: _____ Email ID _____
I/We also undertake that the communication received through my /
our email ID will be treated as proper, legal and sufficient delivery of
documents sent to us by Union Bank of India. I/We further undertake that
we would not hold Union Bank of India, any of its employees, Registrar
or its employees, responsible in case the communication is not properly
received at my / our email ID due to any technical/other failures.

डिमाट के लाभ / Benefits of Demat

हमारा सुझाव है कि शेयरधारकों द्वारा अपने भौतिक शेयरों को डिमाट में अंतरित कर लेना चाहिए क्योंकि इससे उनके खाते में लाभांश का समय से भुगतान होने के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य लाभ हैं -

- ए. डिपोजीटरी पार्टिसीपेंट (डीपी) को एक आवेदन देकर सभी कंपनियों में पते में परिवर्तन, मुख्तारनामे का पंजीकरण कराया जा सकता है।
- बी. सभी सूचीबद्ध शेयरों में व्यापार के लिए डिमाट पद्धति से निपटान को सेबी ने अनिवार्य कर दिया है। यद्यपि, 500 शेयरों तक का व्यापार भौतिक रूप में किया जा सकता है, हस्ताक्षरों का मिलान न होने के कारण गलत सुपुर्दगी, हस्ताक्षरों में जालसाजी, फर्जी प्रमाणपत्रों आदि के डर से भौतिक निपटान वास्तव में नहीं किए जा रहे हैं।
- सी. भौतिक रूप से प्रतिभूतियों को रखने की तुलना में इस तरह से प्रतिभूतियों को रखना सुरक्षित एवं सुविधाजनक है।
- डी. डिमाट रूप में धारित प्रतिभूतियों के अंतरण पर कोई स्टैम्प शुल्क नहीं लगाया जाता है।
- ई. प्रतिभूतियों के तुरंत अंतरण से तरलता में वृद्धि होती है।
- एफ. यह विलंब, चोरी, अवरोध एवं इसके उपरांत प्रमाणपत्र के दुरुपयोग को कम करता है।
- जी. संव्यवहार के उद्देश्य से एक शेयर का बाजार लॉट अतः विषम लॉट की कोई समस्या नहीं।
- एच. एक सुपुर्दगी अनुदेश से किसी भी संख्या में प्रतिभूतियों को अंतरित/सुपुर्द किया जा सकता है। अतः कागजी कार्रवाई तथा बहु अंतरण फॉर्मों पर हस्ताक्षर नहीं करना पड़ता है।
- आई. इससे प्रतिभूतियों के पेटे ऋण/अग्रिम लेने में सुविधा होती है।
- जे. बोनस, राइट्स निर्गम तथा आईपीओ जैसे गैर-कारपोरेट नकदी कार्रवाई में किसी आबंटन के मामले में तुरंत जमा।

खाता कैसे खोला जा सकता है?

सर्वप्रथम निवेशक द्वारा किसी डीपी से संपर्क करके खाता खोलने का फॉर्म भरा जाएगा। खाता खोलने के फॉर्म के साथ ऐसे किसी भी अनुमोदित दस्तावेज की प्रतियाँ संलग्न की जानी चाहिए जो सेबी द्वारा पहचान के सबूत एवं पते के सबूत के तौर पर मान्य की गयी हों। इनके अलावा 01 अप्रैल, 2006 से खाता खोलते समय मूल पैन कार्ड दिखाया जाना आवश्यक है।

सभी आवेदकों द्वारा मूल दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर करके डीपी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापन हेतु अपने साथ ले जाया जाना चाहिए।

निवेशक द्वारा डिपोजीटरी द्वारा निर्धारित मानक प्रारूप में डीपी के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किया जाएगा जो जिसमें निवेशक तथा डीपी के अधिकारों एवं कर्तव्यों का विवरण दिया जाता है। डीपी द्वारा भावी सदस्य के लिए निवेशक को करार एवं प्रभारों की अनुसूची की एक प्रति प्रदान की जाएगी। डीपी द्वारा सिस्टम में खाता खोलकर एक विशिष्ट खाता क्रमांक दिया जाएगा जिसे बीओ आईडी (हितार्थ स्वामी पहचान क्रमांक) भी कहा जाता है तथा सभी भावी संव्यवहारों के लिए उपयोग किया जाता है।

अपने भौतिक धारण को इलेक्ट्रॉनिक धारण अर्थात प्रतिभूतियों को अमूर्त प्रतिभूतियों में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है?

मूर्त प्रतिभूतियों को अमूर्त प्रतिभूति में परिवर्तित करने के लिए डीपी के पास उपलब्ध एक डीआरएफ (डिमाट अनुरोध फॉर्म) भर कर इसे अमूर्त प्रतिभूतियों में परिवर्तित किए जाने वाले भौतिक प्रमाणपत्रों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक आईएसआईएन के लिए अलग डीआरएफ भरा जाना आवश्यक है। अमूर्त रूप में परिवर्तित करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया नीचे दी गयी है:

- अमूर्त प्रतिभूति में परिवर्तन हेतु प्रमाणपत्र अपने डीपी को सुपुर्द करें।
- डीपी द्वारा सिस्टम के माध्यम से डिपोजीटरी को अनुरोध के विषय में सूचित किया जाता है।
- डीपी द्वारा जारीकर्ता कंपनी के पंजीयक को प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाते हैं।
- पंजीयक द्वारा अमूर्त प्रतिभूति में परिवर्तन हेतु डिपोजीटरी से प्राप्त अनुरोध की पुष्टि की जाती है।
- प्रमाणपत्रों को अमूर्त प्रतिभूति में परिवर्तित करने के बाद, पंजीयक द्वारा खातों को अद्यतन करके इसके पूरे होने की सूचना डिपोजीटरी को दी जाती है।
- डिपोजीटरी द्वारा खातों को अद्यतन करके इसका डीपी सूचित किया जाएगा।
- डीपी द्वारा निवेशक का डिमाट खाता क्रमांक अद्यतन किया जाएगा।

यूनियन डिमाट

यूनियन बैंक द्वारा सेवोन्मुखी सेवा-यूनियन डिमाट प्रदान की जाती है। यूनियन बैंक यूनियन बैंक सेंट्रल डिपोजीटरी सर्विसेज लिमिटेड का एक डिपोजीटरी प्रतिभागी है। अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे दिये गए लिंक पर जाएँ -

http://www.unionbankofindia.co.in/personal_insurance_dematoverview.aspx

हमारे बैंक में डिमाट खाता खोलने के लिए आप हमारी निकटतम शाखा से भी संपर्क कर सकते हैं अथवा demat@unionbankofindia.com पर ई-मेल भी कर सकते हैं।

We suggest that Shareholders should transfer their physical shares in Demat since it ensures timely payment of dividend in their account along with following additional benefits -

- a. Change of address, registration of Power of Attorney – can be effected across companies by one single instruction to the Depository Participant (DP).
- b. SEBI has made it compulsory for trades in all listed scrips to be settled in demat mode. Although, trades up to 500 shares can be settled in physical form, physical settlement is virtually not taking place for the apprehension of bad delivery on account of mismatch of signatures, forgery of signatures, fake certificates etc.
- c. It is a safe and convenient way to hold securities compared to holding securities in physical form.
- d. No stamp duty is levied on transfer of securities held in demat form.
- e. Instantaneous transfer of securities enhances liquidity.
- f. It eliminates delays, thefts, interceptions and subsequent misuse of certificates.
- g. Market lot of one share for the purpose of transactions - so no odd lot problem.
- h. Any number of securities can be transferred / delivered with one delivery instruction. Therefore, paperwork and signing of multiple transfer forms is done away with.
- i. It facilitates taking loans / advances against securities.
- j. Immediate credits in case of any allotment in Non-cash corporate actions such as bonus, rights issues and IPOs.

How can one open an account?

First an investor has to approach a DP and fill up an account opening form. The account opening form must be supported by copies of any one of the approved documents which serve as proof of identity (POI) and proof of address (POA) as specified by SEBI. Apart from these PAN card has to be shown in original at the time of account opening from April 01, 2006.

All applicants should carry original documents for verification by an authorized official of the DP, under his signature.

Investor has to sign an agreement with DP in a depository prescribed standard format, which gives details of rights and duties of investor and DP. DP should provide the investor with a copy of the agreement and schedule of charges for their future reference. The DP will open the account in the system and give a unique account number, which is also called BO ID (Beneficial Owner Identification number) and used for all future transactions.

How can one convert physical holding into electronic holding i.e. how can one dematerialise securities?

In order to dematerialise physical securities one has to fill in a DRF (Demat Request Form) which is available with the DP and submit the same along with physical certificates that are to be dematerialised. Separate DRF has to be filled for each ISIN. The complete process of dematerialisation is outlined below:

- Surrender certificates for dematerialisation to your DP.
- DP intimates to the Depository regarding the request through the system.
- DP submits the certificates to the registrar of the Issuer Company.
- Registrar confirms the dematerialisation request from depository.
- After dematerialising the certificates, Registrar updates accounts and informs depository regarding completion of dematerialisation.
- Depository updates its accounts and informs the DP.
- DP updates the demat account of the investor.

UNION DEMAT

Union Bank of India offers service-oriented Demat account - Union Demat. Union Bank is a Depository participant of Central Depository Services Ltd. For further details, please visit the below link -

http://www.unionbankofindia.co.in/personal_insurance_dematoverview.aspx

You can also contact our Bank's nearest Branch or E-mail demat@unionbankofindia.com for opening of Demat Account with our Bank.

केंद्रीय कार्यालय: यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021.

परोक्षी फॉर्म (फॉर्म 'बी')

(शेयरधारक द्वारा भरकर हस्ताक्षर किया जाये)

रजि. फोलियो क्र.

(यदि डिमैटरियलाइज नहीं किया गया है)

डीपीआईडी तथा क्लाइंट आईडी

(यदि डिमैटरियलाइज किया गया है)

मैं/हम _____ राज्य _____ के _____ जिले के _____ का निवासी
 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई का एक शेयरधारक होने के नाते _____ राज्य के _____ जिले के _____ के निवासी
 श्री/श्रीमती _____ अथवा उनके असफल रहने पर _____ राज्य के _____
 जिले के _____ के निवासी श्री/श्रीमती _____ को **शुक्रवार 16 मार्च, 2018 को प्रातः 11.00 बजे**
वाय.बी. चव्हाण सभागार, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, मंत्रालय के सामने, नरीमन पॉइंट, मुंबई, महाराष्ट्र- 400021 में होने वाली यूनियन बैंक ऑफ
 इंडिया के शेयरधारकों की **असाधारण सामान्य बैठक** में मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से वोट डालने के लिए तथा उसके किसी भी स्थगन के लिए
 अपना परोक्षी नियुक्त करता/करते हूँ/हैं.

_____ 2018 के _____ दिन हस्ताक्षरित.

कृपया
रसीदी टिकट
लगाएं

परोक्षी के हस्ताक्षर

प्रथम नामित/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम : _____

पता : _____

परोक्षी फॉर्म हस्ताक्षर करने तथा दर्ज करने के लिए निर्देश

- कोई भी परोक्षी लिखत वैध नहीं होगा जब तक कि वह:
 - वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में, इस पर उसके अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा विधिवत लिखित रूप से अधिकृत करते हुए हस्ताक्षर न किया गया हो,
 - संयुक्त धारकों के मामले में, इस पर रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा विधिवत लिखित रूप से अधिकृत करते हुए हस्ताक्षर न किया गया हो,
 - निगमित निकाय के मामले में इस पर इसके अधिकारी अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा विधिवत लिखित रूप से अधिकृत करते हुए हस्ताक्षर न किया गया हो.
- परोक्षी लिखत पर किसी भी शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षर किया जाना पर्याप्त होगा यदि किसी कारणवश शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ हैं, तो उसके अंगूठे के निशान लगे हों तथा उसे किसी जज, मजिस्ट्रेट, एश्वोरेंस के पंजीयक या उप पंजीयक अथवा सरकारी राजपत्रित अधिकारी या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो.
- निम्न के साथ परोक्षी
 - मुख्तारनामा या कोई अन्य प्राधिकार(यदि कोई है) जिसके अधीन इस पर हस्ताक्षर किया गया हो, या
 - नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा या प्राधिकार की एक प्रति कंपनी सचिव को संबोधित, निवेशक सेवायें प्रभाग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 239 विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021 के पास असाधारण सामान्य बैठक की तिथि से कम चार दिन पूर्व अर्थात् **शुक्रवार, 09 मार्च, 2018 को शाम 5 बजे तक या उससे पूर्व** जमा कर दिया जाना चाहिए.
- जब तक विधिवत रूप से स्टैम्प न लगाया गया हो कोई भी परोक्षी लिखत वैध नहीं होगा.
- बैंक के पास जमा किया गया कोई लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगा.
- वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के पक्ष में अनुमत किए गए परोक्षी लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किए जाएंगे.
- शेयरधारक ने जिस असाधारण सामान्य बैठक से संबंधित परोक्षी लिखत निष्पादित किया है उसमें वह व्यक्तिगत रूप से वोट देने के लिए अधिकृत नहीं है.
- ऐसे किसी भी व्यक्ति को विधिवत रूप से अधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी नहीं नियुक्त किया जाएगा जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी अथवा कर्मचारी है.

Central Office: Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai-400 021.

PROXY FORM (FORM 'B')

(to be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio
(If not dematerialised)

DP ID & Client ID
(If dematerialised)

I/We _____ resident(s)
of _____ in the district of _____ in the
state of _____ being a shareholder(s) of Union Bank of India, Mumbai
hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in
the district of _____ in the state of _____ or failing him / her,
Shri/ Smt. _____ resident of _____ in the
district of _____ in the state of _____ as my / our proxy to vote
for me / us and on my / our behalf at the **Extraordinary General Meeting** of the shareholders of Union Bank of India to be held on
**Friday, 16th March, 2018 at 11.00 a.m. at Y. B. Chavan Auditorium, General Jagannath Bhosale Marg, Opp. Mantralaya, Nariman
Point, Mumbai, Maharashtra - 400021** and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2018.

Please
Affix
Revenue
Stamp

Signature of Proxy

Signature of First named/Sole Shareholder

Name : _____

Address : _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his/ her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Union Bank of India.
- The proxy together with
 - the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Union Bank of India with the Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank of India, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021 not less than four days before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. **on or before 5.00 PM on Friday, 9th March, 2018.**
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Union Bank of India.

केन्द्रीय कार्यालय: यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021.
 Central Office: Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400021.

उपस्थिति पर्ची - सह - प्रवेश पत्र

Attendance Slip-cum- Entry Pass

(स्थान पर प्रवेश के समय सौंपी जानी है) (to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

एतद्वारा मैं बैंक की असाधारण सामान्य बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ:

I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the Bank:

दिनांक: शुक्रवार, 16 मार्च, 2018

Date: Friday, 16th March, 2018

समय: प्रातः 11.00 बजे

Time: 11:00 A.M.

स्थान: वाय. बी. चव्हाण सभागार,

Place: Y. B. Chavan Auditorium,

जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग,

General Jagannath Bhosale Marg,

मंत्रालय के सामने, नरीमन पॉइंट,

Opp. Mantralaya, Nariman Point, Mumbai,

मुंबई, महाराष्ट्र - 400 021

Maharashtra - 400 021

रजि. फोलियो क्र. / डीपी आईडी तथा क्लार्क आईडी Regd. Folio No./DP ID & Client ID	
शेयरधारक का नाम Name of the Shareholder	
शेयरों की संख्या Number of Shares	
प्रोक्सी अथवा अधिकृत प्रतिनिधि का नाम Name of Proxy or Authorised Representative (AR)	

शेयरधारक/प्रोक्सी/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

Signature of Shareholder/Proxy/AR

शेयरधारकों/प्रोक्सी अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि बैंक के साथ अपने विधिवत पंजीकृत हस्ताक्षर सहित उक्त उपस्थिति पर्ची - सह प्रवेश पत्र को स्थान पर प्रवेश हेतु प्रस्तुत करें. तथापि, प्रवेश आवश्यक सत्यापन, जांच के अध्वधीन होगा. किसी भी स्थिति में, बैठक के प्रवेश द्वार पर कोई भी डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जायेगी.

Shareholders / proxy or authorised representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip will be issued at the entrance to the meeting.

